सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, डीग(राज0)

प्र0 सं0 05/2024(जी.सी.एम.एस.न. 2024/176)

पीठासीन अधिकारीः- श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. वासमति पत्नी रमेशचन्द
2. वीरमति पत्नी तेजवीर

जातियान जाट नि0 ग्राम कौरेर तहसील व जिला डीग(राज0)

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

-अप्रार्थी

प्रार्थना अन्तर्गत प्रा0पत्र 128,एल.आर.एक्ट बावत बावत,

निर्णय **दिनांकः 02.05.2025**

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र **प्रार्थना पत्र बावत कराये जाने पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128, एल.आर.एक्ट बावत बावत** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बरान 2291/0.09, 2292/0.10 वाके ग्राम कौरेर तहसील डीग में स्थित है। जोकि प्रार्थीगण की वाहिस्सा बरावर कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थीयान वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीयान द्वारा उक्त आराजी मौके पर एक की हुई है तथा चारों तरफ से डॉलमेंड पूर्व से ही कायम है,लेकिन प्रार्थीयान की उक्त आराजी के अडोस पडोस में स्थित खेतों के खातेदार आये दिन प्रार्थीगण की उक्त खेतों की डॉल मेड को तोड देते है और नुकसान पहुंचाते है तथा डौल मेंड तोडकर फसलों को क्षति पहुंचाते है। जिससे कई वार विवाद की स्थिति हो जाती है। प्रार्थीयान द्वारा अपनी उक्त आराजी की दिनांक 20.05.2024 को तहसीलदार डीग के आदेश से पैमाईश कराई गई। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2291 रकबा 0.09, 2292 रकबा 0.10, स्थित ग्राम कौरेर तहसील डीग की पैमाईश कराकर पुख्ता निशानात(पत्थरगढी)कायम किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जाकर रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 01.05.2025 में अंकित है कि आराजी खसरा नम्बरान 2291/0.09, 2292/0.10 वाके ग्राम कौरेर प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसका सीमाज्ञान हो चुका एवं अब पत्थरगढी का कार्य किया जाना है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बरान आराजी खसरा नम्बरान 2291/0.09,2292/0.10 स्थित ग्राम कौरेर तहसील डीग का सीमाज्ञान कराया जा चुका है तथा पत्थरगढी कायम किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, एल.आर.एक्ट, पत्थर गढी स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बरान 2291/0.09, 2292/0.10 स्थित कौरेर तहसील डीग में पत्थरगढी कायम किये जाने के आदेश दिया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:-

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128,एल.आर.एक्ट(पत्थरगढी) स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बरान 2291/0.09,2292/0.10 स्थित कौरेर तहसील डीग की पत्थरगढी कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णयानुसार तहसीलदार डीग नियमानुसार कार्यवाही संपादित करावें।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner